

कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैराबाद-सीतापुर।

विज्ञप्ति

विषिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेशों एवं मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में जनपद सीतापुर को आवंटित सीटों 940 के सापेक्ष तीन गुना सीटों हेतु प्रथम जांच सूची निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है। अभ्यर्थी website- <http://sitapur-nic.in> पर अथवा www.scertup.org के Home Page पर बने Link 'First List for Verification of Original Documents' / 'प्रथम जांच सूची' पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण/शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ निम्नलिखित समय सरिणी के अनुसार प्रातः 9:30 पर संस्थान में उपस्थित हों।

क्र0सं0	वर्ग / श्रेणी	दिनांक
1	समस्त पुरुष कला	15/06/09
2	समस्त महिला कला	16/06/09
3	समस्त पुरुष विज्ञान	17/06/09
4	समस्त महिला विज्ञान	18/06/09
5	समस्त शिक्षा मित्र व प्रत्यावेदन	19/06/09

कट ऑफ मेरिट का विवरण

श्रेणी	शिक्षा मित्रों से भिन्न				शिक्षा मित्र	
	महिला		पुरुष		महिला	पुरुष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
सामान्य	263.56	254.00	263.21	262.83	230.74	238.35
अनुसूचित जाति	223.55	205.52	237.39	226.74	178.80	204.97
अनुसूचित जनजाति	185.23	223.09	224.21	199.29	-	200.47
अन्य पिछड़ा वर्ग	25040	221.18	254.85	253.01	188.25	226.67

विशेष आरक्षण	शिक्षा मित्रों से भिन्न		शिक्षा मित्र	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
विकलांग दृष्टिबाधित	241.23	246.81	229.83	215.65
विकलांग श्रवणह्रास	243.38	249.51	213.90	226.33
विकलांग चलन क्रिया	250.43	256.00	209.06	234.69
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	187.15	230.43	-	-
भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)	-	183.20	-	-

- "यह प्रथम जांच सूची मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं किसी लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी।"
- जारी की गयी प्रथम जांच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
खैराबाद-सीतापुर